भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2868
(10 मार्च, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए)

डीडीयू-जीकेवाई का कार्यान्वयन

2868. श्री राहुल कस्वां:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में सरकार द्वारा दीनदयाल उपाध्याय-ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई) कार्यान्वित की जा रही है, यदि हां, तो राजस्थान सहित तत्संबंधी राज्य-वार/जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उक्त योजना के अंतर्गत चुरू और हनुमानगढ़ जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) प्रशिक्षण प्राप्त युवाओं की संख्या कितनी है और उनका ब्यौरा क्या है तथा प्रशिक्षण पूर्ण करने के बाद रोजगार प्राप्त युवाओं की संख्या कितनी है; और

(घ) क्या उक्त युवाओं के लिए कोई विशेष शिक्षा/अन्य परियोजना शुरू की गई है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(श्री कमलेश पासवान)

(क) से (ग): दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (डीडीयू-जीकेवाई) 15 से 35 वर्ष के आयु वर्ग के ग्रामीण गरीब युवाओं के लिए दीनदयाल अंत्योदय राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) की छत्रक योजना के अंतर्गत, एक रोजगार-संबद्ध कौशल विकास कार्यक्रम है। यह ग्रामीण गरीब युवाओं को रोजगार योग्य कौशल से सशक्त बनाता है

और नियमित श्रम बाजारों में उनकी भागीदारी को सुगम बनाता है, जिससे उन्हें न्यूनतम मजदूरी या उससे अधिक की नियमित मासिक मजदूरी वाली नौकरियां प्राप्त होती हैं। डीडीयू-जीकेवाई के दिशा-निर्देशों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (50%), महिलाओं (33%) और दिव्यांगजनों (5%) के लिए सामाजिक समावेशन का प्रावधान है। योजना की शुरुआत से लेकर जनवरी, 2026 तक प्रशिक्षित और नियोजित अभ्यर्थियों का ब्यौरा **अनुबंध-I** में दिया गया है।

राजस्थान के चूरू और हनुमानगढ़ जिलों में भी प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। शुरुआत (2014) से लेकर अब तक का ब्यौरा इस प्रकार है:

जिला	प्रशिक्षित	नियोजित
चूरू	2124	1229
हनुमानगढ़	3787	1751

स्रोत: राजस्थान राज्य सरकार

(घ): डीडीयू-जीकेवाई राष्ट्रीय कौशल योग्यता समिति (एनएसक्यूसी), राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीईटी) द्वारा अनुमोदित उन पाठ्यक्रमों की अनुमति देता है जो राष्ट्रीय योग्यता रजिस्टर (एनक्यूआर) <https://www.nqr.gov.in/> या कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के पोर्टल पर सूचीबद्ध हैं। ग्रामीण युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों (पीआईए) को उभरने वाले और उच्च विकास वाले क्षेत्रों में प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रस्तावित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

*****

अनुबंध-I

लोकसभा में दिनांक 10.03.2026 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 2868 के भाग (क) से (ग) में उल्लिखित अनुबंध

वर्ष 2014-15 से 2025-26 (जनवरी, 2026 तक) डीडीयू-जीकेवाई के अंतर्गत प्रशिक्षित और नियोजित अभ्यर्थियों का राजस्थान सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा:

क्र.सं.	राज्य	कुल संचयी (जनवरी, 2026 तक)	
		प्रशिक्षित	नियोजित
1	आंध्र प्रदेश	148692	119509
2	अरुणाचल प्रदेश	2435	1119
3	असम	86136	53890
4	बिहार	80518	48965
5	छत्तीसगढ़	59575	34682
6	गुजरात	32404	21146
7	हरियाणा	56041	40924
8	हिमाचल प्रदेश	19793	11605
9	जम्मू और कश्मीर	72602	45618
10	झारखंड	82754	44192
11	कर्नाटक	56911	37537
12	केरल	76984	46996
13	मध्य प्रदेश	93391	54778
14	महाराष्ट्र	71011	48146
15	मणिपुर	7913	4254
16	मेघालय	9070	5390
17	मिजोरम	3478	2047
18	नागालैंड	8150	5278
19	ओडिशा	218770	177853
20	पंजाब	54075	30048
21	**राजस्थान**	**87409**	**47009**
22	सिक्किम	3306	1951
23	तमिलनाडु	80161	76040

24	तेलंगाना	75165	53991
25	त्रिपुरा	13221	7905
26	उत्तर प्रदेश	254238	107775
27	उत्तराखंड	25704	16153
28	पश्चिम बंगाल	45273	30838
29	पुदुचेरी	3154	1986
30	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1017	567
	कुल	**1829351**	**1178192**

स्रोत: कौशल भारत पोर्टल